राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–743/2019

राजेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस (मुख्यालय), जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर।
4. पुलिस अधिक्षक, बीकानेर।
5. पूरणमल, पुत्र श्री शीशपाल, पीएस कालू जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 20.11.2019
आदेश की दिनांक : 23.05.2024

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री विपिन मक्कड एवं प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता राजेन्द्र दाधिच अनुपस्थित। प्रस्तुत अपील वर्ष 2019 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थीगण के नोटिस पेश नहीं किए गए है।
2. अधिकरण के आदेश दिनांक 21.11.2019 द्वारा प्रकरण में नोटिस प्रस्तुत करने एवं दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपील विगत लगभग 5 वर्ष से लम्बित है और अपीलार्थी की तरफ से प्रत्यर्थीगण के नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य